(e) if so, what are the reasons for the delay?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI RAMESHWAR THAKUR): (a) Yes, Sir.

(b) The areas identified for further cooperation between the two countries include petrochemicals, energy, telecommunications, land and air transpore, electronic metallurgy, light engineering industries, leather goods, granite, gams, textile, food industry, pharamaceuticals and marine products. Possibilities of cooperation of projects in third countries were also mentioned. Several projects are under consideration of the two Governments.

(c) A Statement giving the details is enclosed. (*See* below)

(d) No, Sir. A decision has already been taken by the Government of India not to pursue this project with the Italian Government.

(e) Does not arise.

Statement

GRANTS PORTION .. ..

1. Development of Temperate Climate Fruit Crops, Phase-II
2. REC, Srinagar
3. Spinal Injuries Centre
4. Long Term R&D Contract between CER-CESI
5. Prototype Development & Training Centre for NSIC, Hyderabad
6. Audio Visual Centre, Calcutta
7. CAD-CAM Centre
8. Field Investigation Insulator Pollution
9. Hospital in Tibetan Children's Village, Dharamsala
10. National Cooperative Union of Indian Project
11. Indira Gandhi National Centre for Arts
12. National Inventory of Archaeological Monuments
13. Feasibility Study Gas Tripura
14. Centre for Industrial Design

SOFT LOAN PORTION ..

1. Gas Lift Bombay High
2. Neyveli Zero Unit
3. Barsingsar Power Project
4. Tuna Pursa Seiner

विदेशों में कार्यरत भारतीय बैंकों द्वारा नियमों की अवहेलना

4237. **श्री राम सिंह राठवा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेश स्थित भारतीय बैंक निर्धारित बैंक मानकों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो मानकों के संबंध में क्या नियम हैं;

(ग) किन-किन बैंकों ने इन मानकों का अनुपालन नहीं किया है; और

(घ) सरकार ने मानकों संबंधी नियमों को कार्यान्वित करने के लिए क्या प्रयास किये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि पर्यवेक्षी प्रणालियों से संबंधित बासने समिति ने सिफारिश की है कि जिन बैंकों का अन्तर्राष्ट्रीय परिचालन है उन बैंकों को जोखिम आस्तियों की तुलना में 8 प्रतिशत का न्यूनतम पूंजी अनुपात प्राप्त करना चाहिए । चूंकि भारतीय बैंकों का अंतरराष्ट्रीय परिचालन, तदनुरूप बैंकिंग संबंध आदि हैं इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक ने इन मानकों को भारत के बैंकों के लिए अपनाने का निर्णय लिया है । तदनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक ने आवश्यक मार्गनिर्देश जारी किए हैं जिनके अनुसार जिन बैंकों का विदेशी परिचालन है उन बैंकों को 31-3-94 तक इस मानक को प्राप्त करना है । विदेशों में काम कर रहे भारतीय बैंकों को मजबान देशों

द्वारा निर्धारित विनियमों का भी पालन करना है । भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार जहां कहीं मेजबान देशों द्वारा ये निर्धारित किए गए हैं वहां हमारे सभी बैंक पूंजी अपेक्षाओं का पालन कर रहे हैं ।

गुजरात में आयकर छापे

4238. **श्री राम सिंह राठवा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक वर्ष के दौरान आयकर विभाग द्वारा गुजरात में मारे गए छापों का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक मामले में जब्त की गई चल और अचल सम्पत्तियों तथा उनके मूल्य का ब्यौरा क्या है; और

(ग) 1 जुलाई, 1992 तक कितने मामलों का निपटारा नहीं किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग) वित्त वर्ष 1991–92 के दौरान आयकर विभाग ने गुजरात राज्य में 271 तलाशियां ली थीं । इन तलाशियों के दौरान निम्नानुसार लेखा-बाह्य परिसम्पत्तियां अभिगृहीत की गई थीं :—

(करोड़ रु. में)

नकदी	3.83
जेवर-जवाहरात	3.62
अन्य परिसम्पत्तियां	4.60
कुल	12.05

अभिगृहीत की गई सामग्रियों के आधार पर आवश्यक अनुवर्ती जांच-पड़ताल शुरू की गई हैं लेकिन सुसंगत मामले कर-निर्धारणों को अन्तिम रूप दिए जाने के चरणों तक नहीं पहुंचे हैं ।

गुजरात में सीमेंट उद्योगों द्वारा उत्पाद शुल्क की चोरी

4239. **श्री राम सिंह राठवा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निदेशालय, नई दिल्ली ने गुजरात में सीमेंट उद्योगों द्वारा की गयी करोड़ों रुपये की उत्पाद शुल्क की चोरी का पता लगाने का प्रयास किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका निदेशालय वार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) चूंकि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निदेशालय, दिल्ली नाम से कोई कार्यालय नहीं है, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रश्न का संबंध अपवंचन-रोधी महानिदेशालय, नई दिल्ली से है । महानिदेशालय ने क्षेत्राधिकार रखने वाले केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्तालयों से उनके क्षेत्राधिकार में आने वाले सीमेंट एककों की विशेष लेखा परीक्षा करने का अनुरोध करके गुजरात में सीमेंट उद्योग द्वारा उत्पाद शुल्क अपवंचन करने के मामले का पता लगाने का प्रयास किया है । लेखा परीक्षा करने की कार्य-प्रणाली से संबंधित परिपत्र और विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धान्त भी जारी किये गये थे । तथापि, गुजरात में सीमेंट एककों द्वारा शुल्क अपवंचन किये जाने के किसी बड़े मामले की अभी तक समाहर्तालयों द्वारा सूचना नहीं दी गयी है ।

मुम्बई में विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का उल्लंघन

4240. **श्री ईश दत्त यादव :**
चौधरी हरमोहन सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मुम्बई में विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का उल्लंघन किया गया है ;